प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 07.07.2021

दिनांक 06.06.2021 को थानाक्षेत्र कोहड़ौर के व्यापारी से 05 लाख की रंगदारी मांगने के प्रकरण का सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तारः–(थाना कोहड़ौर)–

दिनांक 06.06.2021 को वादी श्याम बाबू जायसवाल पुत्र स्व0 अशर्फीलाल नि0 कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना कोहड़ौर पर सूचना दी गई कि आज शाम लगभग 04:42 बजे एक नम्बर से मेरे भतीजे अनुभव जायसवाल के मो0नं0 पर एक धमकी भरा फोन आया और 5 लाख रू0 की रंगदारी मांगी गई, रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा गया। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना कोहड़ौर पर तत्परता से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया किया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना के अनवारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.07.2021 को उ0नि0 श्री श्याम बिहारी सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के मकूनपुर नहर पटरी से उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त आनन्द मोहन मिश्र उर्फ महात्मा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि0 ग्राम करिस्ता थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. आनन्द मोहन मिश्र उर्फ महात्मा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि0 ग्राम करिस्ता थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आनन्द मोहन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं नशे का आदी हूं, अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए मैने दिनांक 06.06.2021 को त्रिसुण्डी के पास पार्किंग में खड़े ट्रक से एक मोबाइल फोन चोरी किया था, जिसे बेंचकर नशा पूरा करता। उसी समय मेरे दिमाग में बात आई कि कस्बा कोहड़ौर निवासी व्यवसाई स्व0 अशर्फीलाल के दो पुत्र श्याम सुन्दर व श्याम मूरत जिनकी 2018 में बदमाशों द्वारा रंगदारी की रकम न देने पर हत्या कर दी गयी थी, अभी तक उनका परिवार काफी डरा व सहमा हुआ है जिनसे पुनः धमकी देकर रंगदारी मांगी जाय तो हो सकता है डर बस वे पैसा दे दें। यही सोचकर मैने उस मोबाइल फोन से सिम निकालकर दूसरे मोवाइल फोन में लगाया तथा कस्बा कोहंडौर निवासी श्यामबाबू जायसवाल पुत्र स्व0 अशर्फीलाल के भतीजे अनुभव जायसवाल के मोवाइल नम्बर 9792643203 पर काल करके पांच लाख रुपये की रंगदारी मेरे द्वारा मांगी गयी। रंगदारी मांगने के तुरंत बाद पुलिस से बचने के लिए मैने उक्त सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया तथा उक्त मोबाइल फोन जो कही नशे की हालत में मुझसे गिर गया या कोई ले लिया मुझे उसके बारे में कुछ पता नही है, मैने ट्रक से चोरी किये गये मोवाइल फोन सैमसंग डास को अपने ही गाँव के निवासी हरिश्चन्द्र सरोज पुत्र राजकुमार सरोज जो जूते चप्पल की दुकान करता है, को 300/– रू0 में बेंच दिया था।

पुलिस टीम–

- उ0नि0 श्री श्याम बिहारी सिंह मय हमराह थाना कोहड़ौर नगर जनपद प्रतापगढ़।